

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 9

दिनांक : 06.03.2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय पुलिस थाना कुण जिला सलूम्वर (राज.) द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 344 दिनांक 03.03.2025 में वर्णित तथ्यानुसार राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.27 (क), गृह-2 / 2023 दिनांक 05.10.2023 के क्रम में जिला सलूम्वर में थाना लसाडिया की पुलिस चौकी कुण को कमोन्नत कर पुलिस थाना कुण का गठन किया गया है, जिसके अनुसरण में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) व 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवसृजित पुलिस थाना कुण के आपराधिक प्रकरणों हेतु निम्नप्रारूप अनुसार कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है :-

1	2	3
क्र.सं.	नवसृजित पुलिस थाना	न्यायालय जिस नवसृजित पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।
01	पुलिस थाना कुण जिला सलूम्वर (राज.)	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानोड, उदयपुर (राज.)

नोट :- उपर्युक्त आदेश का प्रभाव किसी विशेष अधिनियम के तहत संस्थित होने वाले प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता पर नहीं पड़ेगा, जिनके संबंध में पूर्व में पृथक से आदेश दिए गए हैं अथवा विधि में जिनके संबंध में विशेष प्रावधान है।

— 54 —
(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

क्रमांक / स्था. / 2025 / 429

दिनांक : 06.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, सलूम्वर
4. न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानोड, जिला उदयपुर
5. थानाधिकारी पुलिस थाना कुण, जिला सलूम्वर
6. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर